न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मूल. 40 / 2020

उनवान

1. गोविन्दराम पुत्र स्व. रामू, जाति कुमावत, निवासी मामोडियो की ढाणी, वार्ड नं. 3, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कालूराम पुत्र स्व. भूरा
2. बाबूलाल पुत्र स्व. भैरूराम पुत्र स्व. भूरा
3. चन्दा देवी पत्नी सोहन लाल
4. लालचंद पुत्र स्व. सोहन लाल पुत्र स्व. भूरा
5. प्रेम देवी पत्नी गोपाल
6. अशोक पुत्र स्व. हनुमान पुत्र स्व. चूना
7. कन्हैया लाल पुत्र स्व. हनुमान पुत्र स्व. चूना
8. बाबूलाल पुत्र स्व. हनुमान पुत्र स्व. चूना
9. रमकी पत्नी स्व. हनुमान पुत्र स्व. चूना
10. लादूराम पुत्र स्व. हनुमान पुत्र स्व. चूना

समस्त जाति कुमावत, निवासीयान मामोडिया की ढाणी, वार्ड नं. 3, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

11. कमली पत्नी संतोष पुत्री स्व. सेडूराम पुत्र स्व. घीसा, जाति कुमावत, निवासी ग्राम साईवाड, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
12. चम्पा देवी पत्नी पप्पूलाल पुत्री स्व. सेडूराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. जीवणी देवी पत्नी गंगाराम पुत्री स्व. पीसाराम, जाति कुमावत, निवासी खातीपुरा, जयपुर जिला जयपुर।
14. नारायण पुत्र स्व. पीसाराम पुत्र स्व. रामू
15. बद्री पुष स्व. पीसाराम पुष स्व. रामू
16. भगवान सहाय पुत्र स्व. पीसाराम पुत्र स्व. रामू
17. मुकेश पुत्र स्व. सेलूराम पुत्र स्व. पीसाराम
18. राजू पुत्र स्व. घीसाराम
19. श्रवण पुत्र स्व. घीसाराम
20. शांति देवी पत्नी स्व. सेलूराम पुत्र स्व. घीसाराम
21. हनुमान पुत्र स्व. सेडूराम पुत्र स्व. घीसाराम
22. लेखराज पुत्र स्व. घीसाराम

समस्त जाति कुमावत, निवासी मामोडिया की ढाणी, वार्ड नं. 3, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

23. हरिनारायण पुत्र स्व. विजयलाल
24. फूलचन्द पुत्र स्व. विजयलाल
25. मोहन लाल पुत्र स्व. विजयलाल
26. रामकिशोर पुत्र स्व. विजयलाल
27. रामस्वरूप पुत्र स्व. विजयलाल

जाति कुमावत, निवासी खाटवालो की ढाणी, वार्ड नं. 3, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

28. लालचन्द पुत्र हीरालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

29. श्योजीराम पुत्र हनुमान सहाय
30. बरसंती देवी पत्नी स्व. राधेश्याम उर्फ रामू पुत्र स्व. गोधाराम
समस्त जाति कुमावत, निवासी खाटवालो की ढाणी, वार्ड नं. 3, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
31. इन्द्रा देवी पत्नी श्रवण, पुत्री स्व. बोदूराम पुत्र स्व. मुरलीधर जाति कुमावत हाल निवासी ग्राम जयरामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
32. कविता उर्फ ललिता देवी पत्नी मालीराम पुत्री स्व. बोदूराम, जाति कुमावत हाल निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
33. गीता देवी पत्नी महावीर पुत्री स्व. मुरलीधर, जाति कुमावत निवासी टोडी मोड, उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
34. घनश्याम पुत्र स्व. बोदूराम पुत्र स्व. मुरलीधर, जाति कुमावत, निवासी मामोडियो की ढाणी, वार्ड नं. 3, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
35. भगवती देवी पत्नी स्व. बोदूराम पुत्र स्व. मुरलीधर, जाति कुमावत,
36. भगवती पत्नी रामेश्वर पुत्री स्व. मुरलीधर, जाति कुमावत, निवासी टोडी मोड, उदयपुरिया, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
37. भंवरी देवी पत्नी सांवरमल पुत्री स्व. बोदूराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
38. ममता देवी पत्नी नाथूराम, पुत्री स्व. बोदूराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
39. रूपा देवी पत्नी किशनाराम पुत्री स्व. बोदूराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मलिकपुर, गोविंदगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
40. सावित्री देवी पत्नी राजेंद्र पुत्री स्व. बोदूराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
41. सीता देवी पत्नी सीताराम पुत्री स्व. बोदूराम, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मलिकपुर गोविंदगढ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
42. रामू पुत्र गणेश सैनी, जाति माली, निवासी नाथ जी की प्याऊ, पुराना बस स्टेण्ड उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
43. सुवालाल पुत्र स्व. सूरजमल जाति अहीर, निवासी ढाणी नाडी वाली, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
44. गिरधारी सिंह पुत्र स्व. गुमान सिंह,
45. रूधनाथ सिंह पुत्र स्व. गुमान सिंह
46. सवाई सिंह पुत्र स्व. गुमान सिंह
47. हनुमान सिंह पुत्र स्व. गुमान सिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी रघुनाथ जी का मंदिर, रावला, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के सामने, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
48. उम्मेद सिंह पुत्र स्व. मांगू सिंह
49. मदन सिंह पुत्र स्व. मांगू सिंह
50. बजरंग सिंह पुत्र स्व. मांगू सिंह
51. नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मांगू सिंह
52. दशरथ सिंह पुत्र स्व. मांगू सिंह
समस्त जाति राजपूत, निवासी [illegible] का मंदिर के सामने, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
53. महादेव पुत्र स्व. चिमना,
54. गोपाल पुत्र स्व. चिमना
55. मुरली पुत्र स्व. चिमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

जाति अहीर, निवासी राबडो की ढाणी, दुग्ध डेयरी के पीछे, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

56. कैलाश पुत्र स्व. राधेश्याम
57. बसन्त पुत्र स्व. राधेश्याम
58. मुकेश पुत्र स्व. राधेश्याम
59. श्रीमती आशा देवी पत्नी जटाशंकर पुत्री स्व. राधेश्याम
60. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी मातादीन पुत्री स्व. राधेश्याम
61. श्रीमती अनिता देवी पत्नी कालूराम पुत्री स्व. राधेश्याम
62. श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रामजीलाल पुत्री स्व. राधेश्याम
63. श्रीमती सीमा देवी पत्नी राकेश, पुत्री स्व. राधेश्याम निवासी खाटवालो की ढाणी, वार्ड नं. 3, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
64. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111, 128, एल0 आर0 एक्ट

निर्णय दिनांक– 05.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का उदयपुरिया, भू.अ.नि. क्षेत्र उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता सं. 116 में वर्णित खसरा नम्बर 588 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नं. 596 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नं. 597 रकबा 0.46 हेक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर, स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी के पक्ष में दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त मद मे वर्णित आराजियात का एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार है।

उक्तं वर्णित प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खाता सं. 116 मे वर्णित खसरा नंबरान में से 596, 597 के पूर्व दिशा की ओर खसरा नं. 600, 598, 599, पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नं. 609, 610 उत्तर दिशा की ओर खसरा नं. 592, 594, 595 तथा दक्षिण दिशा की ओर गैर मुमकिन शमशान की भूमि हाल खाता सं. 01 में वर्णित खसरा नं. 607 स्थित है एवं खसरा नं. 588 के पूर्व दिशा की ओर खसरा नं. 587 पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नं. 589 उत्तर दिशा की ओर खसरा नं. 330, 331, दक्षिण दिशा की ओर खसरा नं. 590 स्थित है। खसरा नं. 598, 599, 600, 592, 594, 595, 609, 610, 589, 330, 331, 587, 590 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अप्रार्थीगण [illegible] 63 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खसरा [illegible] सं. 56 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें से खसरा नं. [illegible] तथा 599 गैरमुमकिन चाहा तथा गूण की भूमि में प्रार्थी का भी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार [illegible]क अधिकार निहित है। इस प्रकार अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 63 प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित आराजियात के सींव जोड पडौसी काश्तकार है। जिनकी खातेदारी भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के सींव जोड स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned with CamScanner

इस प्रकार अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 63 की खातेदारी भूमि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 वर्णित प्रार्थी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि के सींव जोड स्थित है व अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 55 प्रार्थी के पडौसी काश्तकार है जो अक्सर प्रार्थी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि की सींवडोल में तोड फोड कर खुर्द बूर्द करते रहे हैं व प्रार्थी को उसके कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते रहे हैं जिस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सं. 64 के समक्ष विधि अनुसार सीमाज्ञान हेतु आवेदन कर अप्रार्थीगण सं. 64 के आदेश क्रमांक/भू.अ./2019/2225 दिनांक 07.06.2019, की पालना में सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.07.2019 को सीमाज्ञान कर सीमा कायम की गई जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 63 को बखूबी है जिस बावत कभी कोई आपत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 63 द्वारा नहीं की गई किन्तु इसके पश्चात् से ही अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 63 द्वारा बिना वजह प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि के पूर्वी दिशा, उत्तरी दिशा, पश्चिमी दिशा, दक्षिण दिशा जो प्रार्थना पत्र के मद सं. 1 में वर्णितानुसार सीव जोड है से छेड छाड की जा रही है जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित आराजियात का सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2019 को होने के पश्चात् सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा सीमा चिन्हित किये जाने के बाद अप्रार्थीगण सं. 1 ता 63 द्वारा प्रार्थी की गैर मौजूदगी में सीमा चिन्हो को हटाने का प्रयास किया गया। जिसकी जानकारी प्रार्थी को दूसरे दिन सुबह होने पर हुई जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 63 से सम्पर्क कर समझाने का प्रयास किया तो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 63 उग्र हो गये व प्रार्थी से लडाई झगडा कर जान से मारने व भविष्य में पत्थरगढी करने से साफ इन्कार कर दिया। जो अप्रार्थीगण सं. 1 ता 55 की बदनियती जाहिर करता है।

अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 63 द्वारा दिनांक 13.11.2019 को प्रार्थी की प्रार्थना पत्र मद सं. 1 मे वर्णित आराजियात के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं पश्चिमी उत्तरी तथा दक्षिण दिशा की ओर स्थित स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा नं. 598, 599, 600, 592, 594, 595, 609, 610, 589, 330, 331, 587, 590 आड में प्रार्थी की सींव डोल में तोड फोड कर दी गई जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 63 को समझाने पर तथा निवेदन पर कि उनके द्वारा पूर्वी, पश्चि[illegible] डोल में तोड फोड नहीं की जावे तथा अप्रार्थीगण सं. 64 द्वारा किये गये [illegible]ज्ञान [illegible] पालना में पत्थरगढी करवा ली जावे किन्तु इस पर अप्रार्थीगण [illegible] अवैध कृत्य को लगातार जारी रखकर [illegible] एलानिया धमकी देकर पत्थरगढी करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया जिस [illegible] उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रार्थी को कानूनन हक अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वर्णित खसरा नं. 588, 596,597 के पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की पत्थरगढी अप्रार्थीगण सं. 64 द्वारा दिनांक 01.07.2019 को की गई सीमाज्ञान की अनुपालना में पत्थरगढी करावे जिस हेतु अप्रार्थीगण सं. 64 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा आदेशित किया जाना आवश्यक है। ताकि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न हुए सीमा के विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण हो सके चूंकि अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 63 उग्र स्वभाव के झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जिस कारण उक्त पत्थरगढी के आदेश जरिये पुलिस इमदाद करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित प्रार्थी की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि खसरा नं. 588, 596, 597 के पूर्व दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तरी दिशा, दक्षिणा दिशा की पत्थरगढी, सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2019 अनुरूप जरिये पुलिस इमदाद कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट उदयपुरिया में पेश हुई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16, 20 ता 21, 23 ता 27, 29 ता 30, 42, 44 ता 51, 53 ता 55, 57 ता 64 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी जाती है। प्रार्थीगण एवं शेष अप्रार्थीगण स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। अधिवक्ता पक्षकारान की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 01.07.2019 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 01.07.2019 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:48:02 IST
Reason: SelfAttested

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Scanned with CamScanner